अण्डमानतथानिकोबारप्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
आयुक्त (वैट) काकार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER (VAT)
श्रीविजयापुरम, दक्षिणअण्डमान/SRI VIJAYA PURAM, SOUTH ANDAMAN

श्री विजय पुरम, दिनांक : 01 /04/2025

प्रेस विज्ञप्ति

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मूल्य वर्धित कर विनियमन, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, इसे सुव्यवस्थित करते हुए, वैट आयुक्तालय ने ई-वैट सेवा नामक एक समर्पित ऑनलाइन वैट पोर्टल url https://vat.andaman.gov.in.विकसित किया है, जिसके माध्यम से पंजीकृत डीलरों को उक्त विनियमनके तहत मासिक कर प्रेषण और तिमाही वैट रिटर्न समय पर जमा करने की सुविधा प्रदान की जा सके ।

ई- फाइलिंग के लिए अनिवार्य परिवर्तन 01 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की चौथी तिमाही के लिए लागू होगा । इसलिए, सभी वैट-पंजीकृत डीलरों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करें और लागू नियमों के तहत अधिसूचित निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने कर बकाया और रिटर्न को विशेष रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें ।

सभी पंजीकृत डीलरों से अनुरोध है कि वे इस निर्देश का सख्ती से पालन करें । डीलर किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए, वैट के कम्प्यूटरीकरण के लिए नोडल अधिकारी श्री लोहित राज (सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारी) (मोवाइल संख्या- 9531830729) एवं श्री सेंथिल कुमार (सहायक मूल्य वर्धित कर अधिकारी) (मोवाइल संख्या- 9933242345) से संपर्क कर सकते है ।

यह सूचना व्यापक प्रचार और तत्काल अनुपालन के लिए जारी किया गया है ।

सहायक आयुक्त (वैट)
श्री विजय पुरम
दक्षिण अण्डमान

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
आयुक्त (वैट) काकार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER (VAT)
श्री विजया पुरम, दक्षिण अण्डमान/SRI VIJAYA PURAM, SOUTH ANDAMAN

Sri Vijaya Puram, Dated 01/04/25

PRESS RELEASE

In accordance with the provisions of the Andaman & Nicobar Islands Value Added Tax Regulation, 2017, streamlining the same, the Commissionerate of VAT has developed a dedicated online VAT portal viz. e-VAT Seva, with the url https://vat.andaman.gov.in. This portal has been established to facilitate the timely submission of monthly tax remittances and quarterly VAT returns by registered dealers under the said regulation.

The mandatory transition to e-filing shall come into effect from 1st April 2025, applicable for Quarter 4 of the Financial Year 2024-25 onwards. All VAT-registered dealers are, therefore, directed to register themselves on the above-mentioned portal and ensure submission of their tax dues and returns exclusively through the digital platform within the prescribed timeline as notified under the applicable rules.

All registered dealers are hereby requested to strictly adhere to this directive. For any clarification or support, dealers may contact Shri. Lohit Raj (AVATO) (Ph: 9531830729) & Shri. Senthil Kumar (AVATO) (Ph: 9933242345), Nodal Officer for computerization of VAT.

This notice is issued for wide publicity and immediate compliance.

Assistant Commissioner (VAT)
Sri Vijaya Puram, South Andaman